15

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध वाद संख्या– 02/2014–15

–:आदेश:–

सूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
06/9/19	अपर समाहर्त्ता, बोकारो के पत्रांक 438/रा0 दिनांक 28.04.2014 के द्वारा आवेदक रामानन्द भगत, पिता नारायण चन्द्र भगत, सा0+पो0+थाना चन्दनकियारी, जिला बोकारो से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।	

विवादित भूमि

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बरकामा	34	4792	0.60ए0

आवेदक द्वारा अपने आवेदन एवं लिखित जवाब में उल्लेंख किया गया है कि मौजा बरकामा, खाता सं0 34, प्लॉट सं0 4792, रकवा 0.60ए0 भूमि का मालिकाना राजा शालीग्राम माहथा द्वारा प्रथम पक्ष के दादाजी एवं पिताजी को बेचा गया है। जिसपर प्रथम पक्ष का शांतिपूर्वक दखल–कब्जा है। विपक्षी 1. दिनेश लाल सिंह देव, पिता गिरिधारी लाल सिंह देव एवं अन्य जिला बोकारो द्वारा जाली दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। अन्त में इनके द्वारा उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा वाद समाप्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि संबंधित मामले को लेकर न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन प्रथम बोकारो में टाईटल सूट नं0 18/2014 लम्बित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूना उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि को लेकर न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन प्रथम बोकारो में टाईटल सूट नं0 18/2014 लम्बित होने का उल्लेंख द्वितीय पक्ष द्वारा किया गया है। जिसका प्रथम पक्ष के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है।

अतः बिना किसी प्रभावी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

06/09/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।

06/09/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 13:28:54 +05:30
Location: 192.168.1.42